न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 120 / 2025(GCMS 2025/481)
(RTI No. 212064995097164)

श्री साहब सिंह पुत्र गुरदीप सिंह गांव करीवाला तहसील रानिया जिला सिरसा (हरियाणा) (मोबाईल नम्बर : 94163-55540)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर

12.02.2026

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री साहब सिंह आज स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने अपने प्रार्थन पत्र दिनांक 04.09.2025 से उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री साहब सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 04.09.2025 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर से निम्न सूचना चाही थी :

> हमने एक पत्र अलॉटमैंट हुई, जो कि रिसीव करके राष्ट्रपति भारत सरकार के नाम है, लेने बाबत दिनांक 26.08.2025 को दिया है। सरकार द्वारा उसमें क्या कानूनी प्रक्रिया हुई है। हमे काननें के तहत सूचना देने की कृपया करें।

लोक सूचना अधिकारी ने अपने पत्रांक विविध / आर.टी.आई. / 2026 / 1085 दिनांक 10.02.2026 से अवगत से अवगत करवाया है कि उनके द्वारा अपने पत्र दिनांक 15.09.2026 से प्रार्थी को सूचना भिजवाई जा चुकी है और लोक सूचना अधिकारी ने अपने पत्रांक विविध / आर.टी.आई. / 2025 / 279 दिनांक 15.09.2025 से प्रार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

> उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अथवा प्रश्न पूछना सूचना का अधिकार के दायरे में नहीं आता है। सूचना जिस रूप में है, उसी रूप में दी जा सकती है। खोजकर खोजे गये तथ्यों के आधार पर सूचना देय नहीं है। अतः आप द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना –पत्र अस्वीकार किया जाता है।

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर ने अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है, जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए **लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर ने** अपील का जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। **आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 12.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर